



2026:AHC:31353-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3205 सन् 2026

डॉ. निर्मल सिंह और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : धीरज कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में, विद्वान एजीए ने बताया है कि वर्तमान मामले में, विवेचना पहले ही समाप्त हो चुकी है और 28.01.2026 को सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके और कहा कि वह इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उचित स्तर पर उपयुक्त मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के मद्देनजर, इस रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"